संख्या-73/2015/2599/सैंतीस-2-2015-1(25)/2014

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 सितम्बर, 2015

विषयः- **मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन की योजना (100 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-69/प0-1/9ख/15-16, दि0-01.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-आयोजनागत-106-अन्य पशुधन विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम-0204-मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन की योजना (के.100/रा.0-के.) के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित रू0-50.00 लाख के सापेक्ष रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न निर्धारित कर केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने पर नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश में इस धनराशि का तदनुसार समायोजन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

(5) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियँत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-106-अन्य पशुधन विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम-0204-मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन की योजना (के.100/रा.0-के.)-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-898/दस-2015, दिनांक-21.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-73/2015/2599(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मँत्रालय, पशुधन डेयरी एवं दुग्ध विभाग, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।